

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.
रण संख्या 68/2018

उनवान

1 श्रीप्रभुलाल पिता रामनाथ खटीक निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा -प्रार्थी

बनाम

1 भैरूलाल पिता रामनाथ नाथ निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

2 सुखानाथ पिता रामनाथ नाथ निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

3 उदयलाल पिता जोधा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

4 भैरूलाल पिता जोधा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

5 कन्हैयालाल पिता जोधा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

6 भीमराज पिता जोधा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

7 देवीलाल पिता जोधा जाट निवासी रूपालिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 20.06.2019


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम रूपालिया पटवार आमलीगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी 153/10 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं गीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन कार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.07.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 04 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के अन्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध र्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार लेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व रित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम बरडोद पटवार हल्का बरडोद भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडोद तहसील हमीरगढ में उसके खाते कृषि भूमि आराजी नम्बर 153/10 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड म 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 0/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार इसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल मार होकर दाखिल दपतर रहे।


उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ